प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/एच0एम0आई0एस0–पी0आई0पी0/2015–16/03/7449-75 दिनाँकः 11/10/18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की मोबिलिटी सपोर्ट हेतु दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 आर0ओ0पी0 2018–19 Letter No. F.No. 10(10)/2018-NHM1 dated 13th July 2018 में प्राप्त स्वीकृति एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य कार्यकारी समिति की 103वीं बैठक दिनांक 21.08.2018 के एजेण्डा मद संख्या–103.84 में लिये गये निर्णय के क्रम में, मिशन फ्लैक्सीपूल में एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0 के अर्न्तगत **New FMR Code-16.6.2 (Old FMR Code-B.15.3.1.5.2) "Mobility Support for HMIS & MCTS"** हेतु निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया हैः–

"Approved Rs 29.52 Lakh for mobility at State and district levels. TA/DA should be as per extant rules"

एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर शत्–प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड रिपोर्टिंग हेतु ब्लॉक एम0सी0टी0एस0 ऑपरेटर के लिए आर0ओ0पी0 2018–19 में रू0 300/– प्रति माह की दर से ब्लाक के अर्न्तगत आने वाले स्वास्थ्य केंद्रों में शत्–प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड रिपोर्टिंग हेतु टी0ए0/डी0ए0 हेतु प्राविधानित किया गया है (District should share the visit plan with the state. TA/DA should be as per extant rules)। उक्त मानकानुसार ब्लॉक वैलिडेशन समिति के निर्देशों के क्रम में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऑपरेटर द्वारा प्रति माह कम मे कम 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उपकेन्द्रों में विजिट, इस शर्त के अनुसार कि ब्लॉक के अधीन आने वाले समस्त स्वास्थ्य इकाइयों में कम से कम 01 विजिट सुनिश्चित की जा सके, विजिट के दौरान ऑपरेटर द्वारा एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0 चेकलिस्ट के आधार पर निम्नलिखित विन्दुओं पर कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी–

- एम0सी0टी0एस0 एवं एच0एम0आई0एस0 हेतु ब्लॉक स्तर पर प्रेषित होने वाले डाटा को उपकेन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रो के मैनुअल रिकार्ड से मिलान एवं पुष्टीकरण करना।
- एम0सी0टी0एस0 एवं एच0एम0आई0एस0 से संबधित डाटा की गुणवत्ता का परीक्षण करना। विशेषकर एम0सी0टी0एस0 ट्रैकिंग प्रारूप पर ए0एन0एम0 द्वारा लाभार्थियों के सही मोबाईल नम्बर का अंकन किया जाना सुनिश्चित करना।
- ए0एन0एम0 द्वारा रिर्पोटिंग सम्बन्धित समस्याओं की जानकारी संकलित करना एवं प्रारूप भरने में उनकी हैण्ड होल्डिंग करना।
- ऑपरेटर द्वारा स्वास्थ्य केंदों में भ्रमण की रिपोर्ट एवं प्रदेश स्तर से जारी चेकलिस्ट को भरकर ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक को प्रस्तुत करना ।
- ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक एवं ब्लॉक चिकित्सा अधीक्षक द्वारा भ्रमण आख्या, चेकलिस्ट एवं टी0ए0/डी0ए0 आदि का सत्यापन कर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को प्रेषित किया जाना एवं जनपद स्तर से टी0ए0/डी0ए0 का भुगतान ससमय किया जाना।

उपरोक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृति के रूप में ब्लॉक स्वास्थ्य इकाइयों में ब्लॉक ऑपरेटर हेतु रू0 300/– प्रति ब्लॉक प्रति माह की दर से स्वीकृत की जा रही है, विवरण निम्नवत है–

Scanned by CamScanner

Mobility Support for HMIS & MCTS

Sl	District	Total post of Block MCTS Operator (No. of Block)	Total Fund Allocated to districts for Mobility Support at Block level @Rs 300/- per Month per Block PMU for FY 2018-19	Fund allocated for 4 months DAP of FY 2018-19	Balance fund to be allocated to district for FY 2018-19
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5	Col 6
1	Agra	15	54000	18000	36000
2	Aligarh	12	43200	14400	28800
3	Allahabad	20	72000	24000	48000
4	Ambedkar Nagar	9	32400	10800	21600
5	Amethi	13	46800	15600	31200
6	Amroha (JP Nagar)	6	21600	7200	14400
7	Auraiya	7	25200	8400	16800
8	Azamgarh	22	79200	26400	52800
9	Baghpat	6	21600	7200	14400
10	Bahraich	14	50400	16800	33600
11	Ballia	17	61200	20400	40800
12	Balrampur	9	32400	10800	21600
13	Banda	8	28800	9600	19200
14	barabanki	15	54000	18000	36000
15	Bareilly	15	54000	18000	36000
16	Basti	14	50400	16800	33600
17	Bijnor	11	39600	13200	26400
18	Budaun	15	54000	18000	36000
19	Bulandshahar	16	57600	19200	38400
20	Chandauli	9	32400	10800	21600
21	Chitrakoot	5	18000	6000	12000
22	Deoria	16	57600	19200	38400
23	Etah	8	28800	9600	19200
24	Etawah	8	28800	9600	19200
25	Faizabad	11	39600	13200	26400
26	Farukkhabad	7	25200	8400	16800
27	Fatehpur	13	46800	15600	31200
28	Firozabad	9	32400	10800	21600
29	Gautam Buddha Nagar	4	14400	4800	9600
30	Ghaziabad	4	14400	4800	9600
31	Ghazipur	16	57600	19200	38400
32	Gonda	16	57600	19200	38400
33	Gorakhpur	19	68400	22800	45600
34	Hamirpur	7	25200	8400	16800
35	Hapur	4	14400	4800	9600
36	Hardoi	19	68400	22800	45600
37	Hathras	7	25200	8400	16800
38	Jalaun	9	32400	10800	21600
39	Jaunpur	21	75600	25200	50400
40	Jhansi	8	28800	9600	19200
41	Kannauj	8	28800	9600	19200
42	Kanpur Dehat	10	36000	12000	24000
43	Kanpur Nagar	10	36000	12000	24000
44	Kasganj	7	25200	8400	16800
45	Kaushambi	8	28800	9600	19200
46	Kushi Nagar (Padrauna)	14	50400	16800	33600
47	Lakhimpur Kheri	15	54000	18000	36000
48	Lalitpur	6	21600	7200	14400
49	Lucknow*(+3 Block)	8	28800	9600	19200
50	Maharajganj	12	43200	14400	28800
51	Mahoba	4	14400	4800	9600

Scanned by CamScanner

Sl	District	Total post of Block MCTS Operator (No. of Block)	Total Fund Allocated to districts for Mobility Support at Block level @Rs 300/- per Month per Block PMU for FY 2018-19	Fund allocated for 4 months DAP of FY 2018-19	Balance fund to be allocated to district for FY 2018-19
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5	Col 6
52	Mainpuri	9	32400	10800	21600
53	Mathura	10	36000	12000	24000
54	MAU	9	32400	10800	21600
55	Meerut	12	43200	14400	28800
56	MIRZAPUR	12	43200	14400	28800
57	Moradabad	8	28800	9600	19200
58	Muzaffar Nagar	9	32400	10800	21600
59	Pilibhit	7	25200	8400	16800
60	Pratapgarh	17	61200	20400	40800
61	Raebareli	18	64800	21600	43200
62	Rampur	6	21600	7200	14400
63	Saharanpur	11	39600	13200	26400
64	Sambhal	8	28800	9600	19200
65	Sant Kabir Nagar	9	32400	10800	21600
66	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	6	21600	7200	14400
67	Shahjahanpur	15	54000	18000	36000
68	Shamali	5	18000	6000	12000
69	Shrawasti	5	18000	6000	12000
70	Siddharth Nagar	14	50400	16800	33600
71	Sitapur	19	68400	22800	45600
72	Sonbhadra	8	28800	9600	19200
73	Sultanpur	13	46800	15600	31200
74	Unnao	16	57600	19200	38400
75	Varanasi	8	28800	9600	19200
Total		820	2952000	984000	1968000

अतः उपरोक्तानुसार **"Mobility Support for HMIS & MCTS"** हेतु वित्त अनुभाग द्वारा जनपदों को डैप के माध्यम से धनराशि आंवटित की गयी है। कृपया उक्त मानकों के अनुसार एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 मद में डैप में अनुमोदित स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष धनराशि का नियमानुसार व्यय **New FMR Code-16.6.2 (Old FMR Code-B.15.3.1.5.2) "Mobility Support for HMIS & MCTS"** से जनपद पर उपलब्ध धनराशि से किया जाए एवं डैप के सापेक्ष व्यय विवरण ससमय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देशः

उक्त धनराशियों का व्यय "आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट" में दी गयी व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें।

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमो/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारों की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समित एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

Scanned by CamScanner

5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल बाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या–SPMU /NRHM/ACCOUNT/490–8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्याः–एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/एच0एम0आई0एस0–पी0आई0पी0/2015–16/03/ तद्दिनांक

<u>प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0–एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
9. महाप्रबन्धक–एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0–एन0एच0एम0, को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in के गाइडलाइन सेक्शन में अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(बी0के0 जैन)
महाप्रबन्धक (एम0आई0एस0)

Scanned by CamScanner